भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 760
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जाँच

760. श्री मनीश तिवारी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (एएआईबी) ने अहमदाबाद में एअर इंडिया बोइंग 787 दुर्घटना के लिए एक लीड इन्वेस्टीगेटर नियुक्त किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या लीड इन्वेस्टीगेटर की नियुक्ति में देरी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के अनुबंध 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या विशेष रूप से एअर इंडिया के निजीकरण के बाद घरेलू एयरलाइनों का कोई सुरक्षा ऑडिट किया गया था और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,
(घ) विमान दुर्घटना के पीड़ितों अर्थात् यात्री और प्रभावित इमारत के चिकित्साकर्मियों, दोनों के लिए घोषित मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार विमानन संबंधी घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नियामक विफलताओं और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): दिनांक 12.06.2025 को अहमदाबाद में एअर इंडिया की उड़ान एआई-171 की दुर्घटना के संभावित कारण(कारणों)/योगदायी कारक(कारकों) का निर्धारण करने के लिए महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2017 के नियम 11 के तहत अन्वेषण का आदेश दिया गया है।

(ख): एएआईबी ने दुर्घटना के तुरंत बाद ही अन्वेषण के आदेश दिए थे। एएआईबी "विमान दुर्घटना एवं घटना का अन्वेषण" पर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अनुबंध-13 में उल्लिखित मानकों एवं अनुशंसित परिपाटियों (एसएआरपी) का अनुपालन करता है और एआई-171 दुर्घटना के अन्वेषण के लिए भी इसका अनुपालन किया जा रहा है।

(ग): निजीकरण के पश्चात, वर्ष 2023 और 2025 के दौरान मेसर्स एअर इंडिया के 02 विनियामक ऑडिट किए गए थे। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क मौजूद है अर्थात संगठन/विमानों की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों की नियमित निगरानी सहित सभी प्रचालकों के लिए नियमित एवं आवधिक

ऑडिट, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। इनके उल्लंघन के मामले में, डीजीसीए प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

(घ): भारत ने वर्ष 2009 में विमानवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 का अनुसमर्थन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के संबंध में यात्री की मृत्यु, सामान या कार्गो के विलंब, क्षति या हानि के मामले में मुआवजे के लिए वाहकों की देनदारियों का प्रावधान है।

एअर इंडिया ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 18.07.2025 तक 128 मृतकों के निकटतम रिश्तेदार (एनओके) को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा जारी कर दिया है। शेष मृतकों के लिए, अंतरिम मुआवजे का भुगतान, निकटतम रिश्तेदार द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के विभिन्न चरणों में है। अंतरिम मुआवजे के संवितरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अंतिम मुआवजे की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

एअर इंडिया ने यह भी सूचित किया है कि टाटा सन्स द्वारा अपेक्षित ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 18.07.2025 को पूर्ण कर लिया गया है और एयरलाइन प्रत्येक मृतक के निकटतम रिश्तेदार (एनओके) को 01 करोड़ रुपये के स्वैच्छिक अनुग्रह भुगतान का संवितरण करने के लिए अपेक्षित अभिलेखन और सत्यापन औपचारिकताएँ आरंभ करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया मृतकों और घायल व्यक्तियों के परिवारों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान कर रही है, जैसे यात्रा व्यवस्था, आवास, चिकित्सा व्यय, घायल हुए दैनिक वेतन भोगियों को तत्काल नकद भुगतान, आदि।

(ङ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****